संक्षिप्त संशोधित विज्ञप्ति

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(44)RSMSSB/अर्थना/लि.ग्रेड–II/भर्ती/2018/ 1422 दिनांक : 20/4/2018

–:: संशोधित विज्ञप्ति ::–

लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018

बोर्ड के विज्ञापन संख्या 07/2018 दिनांक 16.04.2018 लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. कार्मिक(क–2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है) की अनुपालना में –

   (क) **बिन्दु संख्या : 4 के नीचे अंकित विशेष सूचना के बिन्दु संख्या** 9 "भूतपूर्व सैनिकों हेतु" की अंतिम पंक्ति "उक्त नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस भर्ती के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व सेना से सेवानिवृत्त होना आवश्यक है।" को विलोपित किया जाता है। कार्मिक विभाग की उपरोक्त अधिसूचना के नियम 6 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 में जोड़े गये नये नियम 6B के अन्तर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिक भी इस नये नियम में वर्णित शर्त के अधीन आवेदन करने हेतु पात्र होंगें।

   (ख) बिन्दु संख्या : 9 के क.सं. 10 में अंतिम पंक्ति के पश्चात् निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–
   भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु संबंधी रियायत हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–II दिनांक 17.04.2018 के प्रावधान भी लागू होंगें।

   (ग) बिन्दु संख्या : 9 के नीचे नोट (क) में यथा स्थान प्रयुक्त शब्द "भूतपूर्व सैनिक" को विलोपित किया जाता है।

2. कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.3(8) कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 18.04.2018 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकती है) की पालना में **बिन्दु संख्या : 21** लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम के नीचे वर्णित **स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या 5 में आंशिक संशोधन कर इसके अंत में निम्नानुसार और जोड़ा जाता है :–**

   "तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्नपत्र के न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।"

लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018 का विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी** की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नही किया जायेगा।

विज्ञप्ति की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(डॉ. बी.एल.जाटावत)
अध्यक्ष